

**अनुसूची**  
( धारा 2 और 3 देखिये )

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से विधान सभा द्वारा अनुदत्त	अनधिक राशियां संचित निधि पर भारत	योग
(1)	(2)	(3)		
		₹	₹	₹
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व 40,00,00,000 पूंजी 30,00,00,000	3,46,40,700 0	43,46,40,700 30,00,00,000
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व 50,00,000	0	50,00,000
03	पुलिस	राजस्व 60,00,100	0	60,00,100
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व 17,37,30,000	0	17,37,30,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 600 पूंजी 14,00,000	0 0	600 14,00,000
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 3,00,00,000	0	3,00,00,000
08	भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व 1,29,15,01,300	100	1,29,15,01,400
10	वन	राजस्व 3,15,76,00,000	68,870	3,15,76,68,870
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	पूंजी 25,00,00,000	0	25,00,00,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 1,00,00,00,000 पूंजी 52,69,00,000	0 0	1,00,00,00,000 52,69,00,000
13	कृषि	राजस्व 5,50,23,00,200	0	5,50,23,00,200
17	सहकारिता	राजस्व 200 पूंजी 55,30,00,000	0 0	200 55,30,00,000
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व 2,34,93,33,800	1,00,00,000	2,35,93,33,800
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	पूंजी 1,51,38,00,000	0	1,51,38,00,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 1,00,00,00,000 पूंजी 200	0 0	1,00,00,00,000 200
23	जल संसाधन विभाग	पूंजी 600	0	600
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व 2,00,27,00,000 पूंजी 2,300	0 0	2,00,27,00,000 2,300
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 5,50,00,000	0	5,50,00,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व 2,70,04,100	0	2,70,04,100
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व 6,20,00,000	7,49,462	6,27,49,462
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 1,00,00,00,100	0	1,00,00,00,100
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 41,02,57,000	0	41,02,57,000
33	आदिम जाति कल्याण	राजस्व 5,13,40,000	0	5,13,40,000
36	परिवहन	राजस्व 9,81,00,000 पूंजी 6,03,00,000	1,00,00,000 0	10,81,00,000 6,03,00,000
39	खाद्य , नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 34,00,00,000	0	34,00,00,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व 8,65,53,68,100 पूंजी 1,70,28,37,300	0 6,40,00,000	8,65,53,68,100 1,76,68,37,300
42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित व्यय	पूंजी 2,200	0	2,200

**अनुसूची**  
( धारा 2 और 3 देखिये )

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से विधान सभा द्वारा अनुदत्त	अनधिक राशियां संचित निधि पर भारित	योग	
(1)	(2)	(3)			
		₹	₹	₹	
लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल					
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	2,50,00,000	0	2,50,00,000
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	800	0	800
47	कौशल विकास , तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	राजस्व	10,50,00,100	0	10,50,00,100
		पूंजी	200	0	200
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	100	0	100
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	राजस्व	200	0	200
		पूंजी	200	0	200
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	राजस्व	21,45,26,300	0	21,45,26,300
		पूंजी	1,00,00,000	0	1,00,00,000
56	ग्रामोद्योग	पूंजी	1,00,00,000	0	1,00,00,000
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	3,60,79,95,800	0	3,60,79,95,800
		पूंजी	60,28,00,500	0	60,28,00,500
65	विमानन विभाग	राजस्व	48,00,00,000	0	48,00,00,000
66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	राजस्व	1,03,72,100	0	1,03,72,100
67	लोक निर्माण कार्य - भवन	पूंजी	3,95,78,400	0	3,95,78,400
68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य - भवन	पूंजी	45,00,800	0	45,00,800
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग - नगरीय कल्याण	राजस्व	4,77,28,81,000	0	4,77,28,81,000
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	पूंजी	5,00,00,100	0	5,00,00,100
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	0	60,00,00,000	60,00,00,000
		पूंजी	20,00,00,000	0	20,00,00,000
योग	राजस्व		36,83,30,11,900	65,54,59,132	37,48,84,71,032
	पूंजी		5,82,51,22,800	6,40,00,000	5,88,91,22,800
वृहद योग			42,65,81,34,700	71,94,59,132	43,37,75,93,832